1

न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण <u>कमांकः 23 / 2015</u> संस्थित दिनांक—09.05.2008 फाईलिंग नंबर—230303001892008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

----अभियोजन

वि रू द्ध

 आनंद शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा उम्र 38 साल निवासी भजपुरा थाना पोरसा जिला मुरैना म०प्र0

---- आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **17 नवंबर— 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अभियुक्त आनंद शर्मा के विरुद्ध धारा—392 भाग—2 भा०द०वि० सहपिठत धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 22.11.2007 को रात लगभग 8.15 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर मालनपुर राजमार्ग पर दो अन्य सह अपराधियों के साथ संजय मिश्रा पुत्र अनंतराम के आधिपत्य से मोटरसाईकिल पंजीयन कमांक—एम०पी०—07 के०एच०/3017, रिलाईन्स मोबाईल तथा कुछ कागजात कीमती रूपये 15,000/—रूपये की लूट की।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण के मुख्य आरोपी शंकर उर्फ उमाशंकर शर्मा को विशेष न्यायाधीश डकैती भिण्ड के द्वारा दिनांक 28.05.14 द्वारा दोषसिद्ध कर दिण्डत किया है जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में विचाराधीन है।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 22.11.07 को फिरयादी संजय मिश्रा अपने बहनोई की मोटरसाईकिल कमांक— एम0पी0—07 / के0एच0—3017 को लेकर अपनी ससुराल भिण्ड में शादी में सम्मिलित होकर गालियर वापिस जा रहा था। शाम करीब आठ बजे मालनपुर के पास भदौरियन का पुरा की पुलिया के पास मोटरसाईकिल खड़ी करके पेशाब करने लगा तथा चाबी गाड़ी में लगी थी। तभी तुकेड़ा पैड़ा की तरफ से तीन लड़के मोटरसाईकिल से आय तथा उसकी मोटरसाईकिल उठाकर स्टार्ट करने लगे। उसने मना किया तो उसे धक्का दिया और मोटरसाईकिल छीनकर ले गये। उसने पीछा किया लेकिन वह नहीं माने और भाग गये। मोटरसाईकिल की डिग्गी में मोबाईल व गाड़ी के कागजात रखे थे।

- 4. फरियादी संजय मिश्रा के द्वारा कागजात मोटरसाईकिल के साथ चले जाने के कारण रात में रिपोर्ट नहीं की गई तथा दूसरे दिन घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.11.07 को 7.10 बजे थाना मालनपुर में की गई जिस पर से अप0क0—146/07 धारा—392 भा0द0सं0 एवं धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा लूटी गई मोटरसाईकिल के संबंध में दोषसिद्ध अभियुक्त शंकर उर्फ उमाशंकर शर्मा के धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये ज्ञापन के आधार पर उसके घर से लूटी गई मोटरसाईकिल की जप्ती की गई। तथा शंकर उर्फ उमाशंकर शर्मा के द्वारा ज्ञापन में विचाराधीन आरोपी आनंद शर्मा का नाम भी बताया गया जिसके आधार पर उसे प्रकरण में प्र0पी0—6 के द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी कर अभियोजित किया गया है जिसका अभियोग पत्र विचारण हेत् दोषसिद्ध आरोपी के साथ ही दिनांक 09.05.08 को
- 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त आनंद शर्मा के विरूद्ध धारा 392 भाग—2 भा०द०वि० सहपिठत धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूंटा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - अ— क्या दिनांक 22.11.07 को रात के करीब आठ सवा आठ बजे राजस्व जिला भिण्ड डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित था?
 - ब— क्या पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर भिण्ड राजमार्ग पर जाते समय फरियादी संजय मिश्रा के आधिपत्य से उसकी मोटरसाईकिल एल0एम0एल0 फीडम कमांक—एम0पी0—07/के0एच0—3017 जिसकी डिग्गी में रिलाईन्स कंपनी का मोबाईल और कागजात कीमती करीब पन्द्रह हजार रूपये रखे हुए थे, की लूट कारित की?
 - स— क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर की गई उपरोक्त प्रकार की लूट आरोपी आनंद शर्मा ने आरोपी शंकर उर्फ उमाशंकर शर्मा के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर कारित की?

<u>—::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक- अ, ब एवं स का निराकरण

- 7. उक्त तीनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 8. परीक्षित साक्षियों में से घटना की पीड़ित एवं रिपोर्टकर्ता फरियादी संजय मिश्रा अ0सा0—2 ने अपने अभिसाक्ष्य दिनांक 19.09.13 को यह बताया है कि पांच छः साल पहले की घटना है। वह भिण्ड से ग्वालियर के लिये मोटरसाईकिल से जा रहा था। जब वह मालनपुर में पहुंचा तभी तीन अज्ञात व्यक्ति आये और उसकी गाड़ी रोकी और कट्टा लगा दिया। तथा उसकी मोटरसाईकिल छुड़ा ली। उस समय उसके पास द्वायविंग लायसेन्स और मोबाईल भी था वह भी छुड़ा लिया जिसकी उसने थाना मालनपुर में तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट की थी जो प्र0पी0—3 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह भी कहा है कि पुलिस उसके सामने घटनास्थल पर आई थी और उसके सामने नक्शामौका प्र0पी0—4 बनाया था

तथा उसका कथन भी लिया था। लेकिन कथन में उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि लूट करने वाले तीनों व्यक्तियों को वह सामने आने पर पहचान लेगा। क्योंकि घटना शाम के करीब साढ़े सात बजे हुई थी। उस समय अंधेरा था और लूट करने वाले मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे इसलिये वह उन्हें नहीं पहचान सका था। आरोपी आनंद शर्मा की ओर से उक्त साक्षी पर किये गये प्रति परीक्षण में कोई भी प्रश्न या सुझाव नहीं दिया गया है जिससे उक्त साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय हो जाती है।

- 9. प्र0पी0—3 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करने वाले तत्काली निरीक्षक अमरिसंह सिकरवार अ0सा0—4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23.11.07 को थाना प्रभारी थाना मालनपुर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फिर्यादी संजय मिश्रा द्वारा की गई रिपोर्ट पर से तीन अज्ञात लड़कों द्वारा मोटरसाईकिल एल0एम0एल0 फीडम कमांक—एम0पी0—07 / केएच—3017 जिसकी डिग्गी में मोटरसाईकिल के कागजात और रिलाईंस कंपनी का मोबाईल भी रखा था। उसकी लूट की रिपोर्ट किये जाने पर प्र0पी0—3 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना और एफ0आई0आर0 दर्ज करने के पश्चात घटनास्थल पर जाकर फिर्यादी की निशादेही पर प्र0पी0—4 का नक्शामौका तैयार करना बतात हुए प्र0पी0—3 व 4 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। फिर्यादी संजय मिश्रा का प्र0डी0—1 का पुलिस कथन लेखबद्ध करना भी कहा है जिसमें ए से ए भाग फिर्यादी द्वारा उसे बताया जाना कहा गया है। साक्षी ने पैरा—3 में एफ0आई0आर0 की एक काउण्टर प्रति किस जावक नंबर से भेजी गई, इसका उल्लेख प्र0पी0—3 में न होना तथा प्र0पी0—3 के सी से सी और डी से डी भाग पर ओव्हर राईटिंग होना स्वीकार करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि उसकी विवेचना के दौरान आरोपीगण के नाम ज्ञात नहीं हुए थे।
- इस प्रकार से अ0सा0–2 व 4 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0–3 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0–4 का नक्शामौका प्रमाणित होते हैं। क्योंकि उसके संबंध में उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य अखण्डनीय है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि दिनांक 22.11.07 को शाम करीब आंढ बजे जब फरियादी संजय मिश्रा मोटरसाईकिल एल0एम0एल0 फीडम कमांक-एम0पी0-07-केएच-3017 से भिण्ड से ग्वालियर की ओर जा रहा था। तब रास्ते में मालनपुर के पास उसकी मोटरसाईकिल जिसकी डिग्गी में कागजात व मोबाईल भी रखा हुआ था, उसकी तीन अज्ञात लोगों के द्वारा लूट की गई किन्तु उक्त लूट में आरोपी आनंद शर्मा भी शामिल था या नहीं था, यह अन्य साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा क्योंकि रिपोर्ट अज्ञात में है और फरियादी के द्वारा घटना के समय लूट करने वाले व्यक्तियों के मुंह पर कपड़ा बंधा होने व अंधेरा होने के कारण उन्हें न पहचान पाना बताया है। तथा अ0सा0-4 ने यह भी स्पष्ट किया है कि फरियादी ने लूट करने वालों का हलिया और उम्र आदि नहीं बताई थी और उसके द्वारा की गई आंशिक विवेचना के दौरान किसी भी आरोपी का नाम ज्ञात नहीं हुआ तथा अनुसंधान के दौरान शिनाख्ती की कोई कार्यवाही की जाना कथानक में नहीं बताया गया है। प्रकरण में आरोपी आनंद शर्मा को दोषसिद्ध सह अभियुक्त शंकर उर्फ उमाशंकर के धारा—27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत दिये गये ज्ञापन में नाम बताये जाने के आधार पर अभियोजित किया गया है इसलिये यह भी मूल्यांकित करना होगा कि क्या उसके द्वारा दी गई जानकारी सुसंगत तथ्य है और क्या उसके आधार पर दोषसिद्धि विधिक रूप से की जा सकती है या नहीं? क्योंकि संजय मिश्रा अ0सा0—2 ने प्र0डी0—1 के कथन में लड़कों को सामने आने पर पहचान लेने की बात से इन्कार किया है। संभवतः इसी कारण शिनाख्ती की कार्यवाही अनुसंधान के दौरान नहीं कराई गई है।
- 11. प्रकरण में दोषसिद्ध आरोपी शंकर उर्फ उमाशंकर को प्र0पी0-1 के द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात दिनांक 25.02.08 को पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्र0पी0-2 के

दिये गये ज्ञापन में आनंद शर्मा का नाम सह अभियुक्त के रूप में आने के कारण उसे अभियोजित किया गया है। इसलिये प्र0पी0—2 के संबंध में विधिक स्थिति और उस बाबत आई साक्ष्य को मूल्यांकित करना आवश्यक है जिससे संबंधित साक्षी प्र0आर0 मैथिलीशरण गुप्ता अ0सा0—1, सेवानिवृत्त ए०एस०आई० बी०पी० द्विवेदी अ0सा0—3 हैं। प्र0पी0—2 की कार्यवाही ए०एस०आई० बी०पी०द्विवेदी द्वारा की जाना बताई गई है। प्र0आर0 मैथिलीशरण गुप्ता अ0सा0—1 प्र0पी0—2 का पंच साक्षी है, दूसरा पंच साक्षी आरक्षक राजवीर यादव था जिसे अभियोजन द्वारा अपरीक्षित छोड़ा गया है।

- 12. ए०एस०आई० बी०पी० द्विवेदी अ०सा०–3 न अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 25.02.08 को थाना मालनपुर में पदस्थ रहना बताते हुए अप०क०-146/07 की विवेचना प्राप्त होने पर आरोपी शंकर उर्फ उमाशंकर से पूछताछ कर प्र0पी0-2 का मेमोरेण्डम बनाया जाना बताया है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा उसने यह भी कहा है कि आरोपी शंकर ने पूछताछ के दौरान उसे यह बताया था कि घटना में लूटी गई मोटरसाईकिल उसने अपने घर पर रख दी है, चलकर बरामद कराये देता हूँ और घटना में लूटा हुआ मोबाईल नाले में फैंक दिया है। तत्पश्चात दी गई जानकारी के आधार पर शंकर उर्फ उमाशंकर के रिहायशी मकान स्थित ग्राम देवरी में जाकर उसके द्वारा लूटी गई मोटरसाईकिल को प्र0पी0-5 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त करना बताया है। यह भी कहा है कि विवेचना के दौरान आरोपी आनंद शर्मा को उसने प्र0पी0-6 का गिरफतारी पत्रक बनाकर गिरफतार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने तत्कालीन थाना प्रभारी आर०के० वाजपेयी के अधीनस्थ कार्यरत रहने. आर०के० वाजपेयी की मृत्यु हो जाने, उनके हस्ताक्षरों को पहचानने की बात बताते हुए शंकर के गिरफतारी पत्रक प्र0पी0–1 पर बी से बी भाग पर आर0के0 वाजपेयी के हस्ताक्षर होना बताये हैं। इस साक्षी से आरोपी आनंद शर्मा की ओर से कोई प्रश्न या सुझाव देकर प्रतिपरीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा गया है।
- इसी प्रकार प्र0आर0 मैथिलीशरण गुप्ता अ0सा0–1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य 13. में यह बताया है कि दिनांक 22.02.08 को वह थाना मालनपुर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के अप०क०–146 / 07 के आरोपी शंकर शर्मा की तलाशी में वह तत्कालीन नगर निरीक्षक आर0के0 वाजपेयी के साथ गया था। आरोपी शंकर थाने के पास से ही गुजरा था जिसे थाना प्रांगढ में ही गिरफ़तार किया गया था जिसका गिरफ़तारी पत्रक प्र0पी0-1 होना बताया है और उसने अ0सा0-3 का इस बाबत भी समर्थन किया है कि उसके सामने आरोपी शंकर से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ करने पर एल०एम०एल० फ्रीडम सिल्वर कलर की मोटरसाईकिल एवं मोबाईल आनंद शर्मा के साथ छीनी जाना, मोबाईल छीना झपटी में गिरकर टूट जाना और नाले में फैंक दिया जाना भी वह कहता है। मोटरसाईकिल शंकर द्वारा ग्राम देवरी में रखने और बरामद कराने की जानकारी दिये जाने पर प्र0पी0–2 का ज्ञापन तैयार होना उसने कहा है। इस साक्षी पर भी आंनद शर्मा की ओर से प्रतिपरीक्षा में कोई प्रश्न नहीं किया गया है। इस प्रकार से अ०सा०–1 व 3 पर विचाराधीन आरोपी आनंद शर्मा की ओर से कोई प्रति परीक्षा नहीं की गई है अतः उनके मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य अखण्डनीय हो जाते हैं जिससे यह तो निश्चित हो जाता है कि ए ०एस०आई० बी०पी०द्विवेदी द्वारा दोषसिद्ध आरोपी शंकर उर्फ उमाशंकर की गिरफ़तारी उपरान्त विवेचना के दौरान पूछताछ करके धारा—27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत उसका ज्ञापन लिया गया था। ज्ञापन में दी गई जानकारी के आधार पर शंकर के घर ग्राम देवरी से लूट की मोटरसाईकिल बरामद हुई थी। किन्तु इस प्रकरण में आरोपी आनंद शर्मा को आरोपी शंकर द्वारा दिये गये ज्ञापन के आधार पर अभियोजित किया गया है। इसलिये विधिक रूप से यह देखना होगा कि क्या ऐसी संस्वीकृति आरोपी आनंद के विरूद्ध ग्राह्य हो सकती है या नहीं क्योंकि आरोपी आनंद के संबंध में केवल उसकी जे0एम0एफ0सी0 गोहद में दिनांक 25.04.08 को प्र0पी0-6 मुताबिक की गई

औपचारिक गिरफ्तारी पत्रक के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। न ही कोई वस्तु उससे बरामद हुई है। न ही आनंद शर्मा का कोई ज्ञापन धारा—27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लिया गया है।

- 14. धारा–27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकंगी— परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।
- 15. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:--
 - 1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
 - 2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
 - 3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
 - 4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
 - चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।
- 16. जहाँ तक यह प्रश्न है कि एक अभियुक्त की सूचना को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत पप्पू विरुद्ध स्टेट 2000(2)जे0एल0जे0 पेज—391 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। उस सूचना का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। हस्तगत मामले में आरोपी शंकर उर्फ उमाशंकर के द्वारा मोटरसाईकिल बरामदगी के संबंध में दी गई यह सूचना कि लूट की मोटरसाईकिल उसने अपने घर ग्राम देवरी में रख दी है चलकर बरामद करवा देगा और उक्त सूचना के आधार पर दी गई जानकारी वाले दिनांक को ही पुलिस द्वारा आरोपी शंकर के घर जाकर प्र0पी0—5 मुताबिक लूटी गई मोटरसाईकिल जो कि विचारण के दौरान फरियादी संजय मिश्रा को सुपुर्दुगी पर दी गई थी, उसकी बरामदगी होने से सूचना का उपयोग शंकर आरोपी के विरुद्ध तो हो सकता है किन्तु आरोपी आनंद के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।
- 17. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2009 भाग-1 एम0पी0एच0टी0 पेज-478 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। उक्त न्याय दृष्टांत विचाराधीन मामले में इस कारण प्रायोज्य किये जाने योग्य है क्योंकि अभिलेख पर आरोपी आनंद शर्मा के विरुद्ध अन्य कोई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियाँ नहीं आई हैं जो उसे घटना में संलिप्त मानने के लिये पर्याप्त हों। ऐसे में एक सह अभियुक्त के द्वारा धारा-27 के ज्ञापन में उसका नाम बता दिये जाने के आधार पर उसे घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है और धारा-133 साक्ष्य अधिनियम का उपबंध भी लागू नहीं होता है। जैसा कि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है क्योंकि धारा-133 साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होने का उपबंध किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि सह अपराधी सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होने का उपराधी के साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिये अवैध नहीं है किवह किसी सह अपराधी के

असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

- 18. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर प्र0पी0—2 के ज्ञापन का वह भाग जिसमें आरोपी आनंद शर्मा का नाम दोषसिद्ध आरोपी द्वारा लिया गया था, वह विधिक रूप से ग्राह्य योग्य नहीं है। इसलिये आरोपी आनंद शर्मा को उक्त लूट की घटना में सह अभियुक्त के रूप में शामिल होने की युक्तियुक्त संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है और विद्वान लोक अभियोजक का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि जिस आरोपी के मेमोरेण्डम में आरोपी आनंद शर्मा का नाम आया था, उसे दोषी माना गया है इसलिये आरोपी आनंद शर्मा को भी दोषी माना जावे क्यांकि जिस प्रकार से आरोपी आनंद शर्मा का नाम आया है, वह विधिक रूप से स्वीकार योग्य ही नहीं है। फलतः आरोपी आनंद शर्मा के विरूद्ध विरचित आरोप संदिग्ध हो जाता है और यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी आनंद शर्मा ने दिनांक 22. 11.2007 को रात लगभग 8.15 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर मालनपुर राजमार्ग पर दो अन्य सह अपराधियों के साथ फरियादी संजय मिश्रा पुत्र अनंतराम के आधिपत्य से मोटरसाईकिल पंजीयन क्रमांक—एम०पी0—07 के०एच०/3017, रिलाईन्स मोबाईल तथा कुछ कागजात कीमती रूपये 15,000/—रूपये की लूट की।
- 19. फलतः आरोपी आनंद शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए धारा—392 भाग—2 भा0द0वि० सहपठित धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 20. आरोपी न्यायिक निरोध में है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल कमांक-एम0पी0-07 केएच-2517 पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः अपील अवधि उपरान्त सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे।
- 22. निर्णय की प्रतिलिपि डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः 17 नवंबर-2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड